(312) निग० 6011/2018/रीवा/भू-रा० (188)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व बोर्ड ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

+10

रामगोपाल विश्वकर्मा तनय श्री सरयू प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम नरैनी, पो. पाड़र थाना व तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) .... **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. मनसुखलाल पाण्डेय पिता हरिहर प्रसाद
2. शत्रुधन प्रसाद पिता हरिहर प्रसाद
3. सुनीता देवी पुत्री हरिहर प्रसाद
4. ददोली प्रसाद पिता हरिहर प्रसाद
5. श्यामकली पिता हरिहर प्रसाद
6. चन्द्रवती पिता हरिहर प्रसाद
7. मारकण्डेय पिता राममिलन
8. सत्यभामा पुत्री राममिलन
9. गीता देवी पुत्री राममिलन

सभी निवासी – ग्राम उर्धापुरवा, तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

.... **गैर–निगरानीकर्तागण**

अधि० श्री रावेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 29.9.18

निगरानी विरूद्ध पुर्नविलोकन आदेश श्रीमान अपर आयुक्त आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय प्र.क्र. 155/पुर्न0/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध।
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर निगरानी के आधार निम्नानुसार हैं –

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 प्रकरण में मौजूद दस्तावेजों व विधि प्रक्रिया के विरूद्ध होने के निरस्त किए जाने योग्य है।

रामगोपाल विश्वकर्मा

(188)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 6011/2018/रीवा/नि0 जिला– रीवा

रामगोपाल विश्वकर्मा विरुद्ध मनसुखलाल पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री शलेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 155/पुनि0/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31.08.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

योग्य है।